उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर

11

मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय
उत्तर पश्चिम रेल्वे, जोधपुर

No. 1 AT/Safety/Safety Circular-11/JU/2024

दिनांक 05.12.2024

सभी अधिकारी उ.प.रे. जोधपुर मण्डल, सभी स्टेशन अधीक्षक स्टेशन मास्टर, यातायात निरीक्षक, संरक्षा सलाहकार, यार्ड मास्टर, वरि.सेक्शन इंजीनियर(रेल पथ), वरि.सेक्शन इंजीनियर(संकेत), वरि.सेक्शन इंजीनियर(दूरसंचार), वरि.सेक्शन इंजीनियर (सवारी व माल) मुख्य लोको निरीक्षक मुख्य नियंत्रक कंट्रोल, मुख्य नियंत्रक कैरेज, मुख्य नियंत्रक कंट्रोल लोको, मुख्य नियंत्रक (दूरसंचार), मुख्य नियंत्रक (बिजली), प्रशिक्षक यातायात प्रशिक्षण स्कूल जोधपुर, गार्ड व चालक फ़ाइल जोधपुर, जैसलमेर, मेड़तारोड, बाड़मेर व समदड़ी, प्राचार्य डीजल प्रशिक्षण केंद्र भगत की कोठी।

मंडल संरक्षा परिपत्र - 11/2024

विषय :- आग लगना

(1) यदि कोई रेल सेवक कहीं ऐसी आग लगी देखता है जिससे जीवन की हानि या सम्पति को क्षति पहुँचने की संभावना है तो वह जीवन व सम्पति की रक्षा के लिए और आग को फैलने से रोकने तथा उसे बुझाने के लिए, यथासंभव, सभी उपाय करेगा।

(2) यदि आग किसी विद्युत उपस्कर में या उसके आस–पास लगती है और यदि रेल सेवक विद्युत उपस्कर के संचालन में सक्षम है तथा इस कार्य के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित है तो वह प्रभावित भाग की बिजली सप्लाई तुरन्त काट देगा।

(3) आग लगने की हर घटना की रिपोर्ट शीघ्रतम उपयुक्त साधनों द्वारा निकटतम स्टेशन मास्टर को दी जायेगी और स्टेशन मास्टर विशेष अनुदेशो द्वारा निर्धारित रूप में कार्यवाही करेगा।

स.नि.6.10(1)(क) यदि गाड़ी के किसी वाहन में आग लग गई हो तो गाड़ी रोककर उस वाहन को गाड़ी से पृथक कर दिया जायेगा। गाड़ी के अन्य वाहनों और इस वाहन के बीच की दूरी 50 मीटर से कम नहीं रखी जायेगी। यदि गाड़ी स्थावर सिगनलों से रक्षित नहीं है तो उसका बचाव साधारण नियम 6.03 के अनुसार किया जायेगा यदि आग का पता तब चले जब गाड़ी पानी की टंकी या पानी देने वाले स्टेशन के पास हो तो लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर उस स्थान पर पहुंचने के लिए अपने विवेक से काम लेंगे।

(ख) यदि सवारी गाड़ी में आग लगी है तो सबसे पहले यात्रियों की सुरक्षा करनी होगी। इसके अतिरिक्त, यदि डाकयान (पोस्टल वान) में आग लगने का पता चले तो डाक को बचाने का भरसक प्रयास किया जाना चाहिए।

(ग) यदि जिस वाहन में बिजली में बिजली फिट की हुई है। उसमें शार्ट सर्किट होने से लकड़ी (बुडवर्क) में आग लग जाय तो वाहन के दोनों ओर के विद्युत कपलरों को अलग कर देना चाहिए। यदि उसमें डायनेमों और बैटरी लगी है तो डायनमों वेल्ट अलग कर देनी चाहिये और बैटरियों का कनेक्शन काट देना चाहिए और बैटरी फ्यूज बक्सों से जोड़ने वाली जो कड़ियों (लिंक्स) हो, उन्हें हटा देना चाहिए।

यदि बन्द स्थान में आग लगी हो और आग बुझाने के उपकरण गाड़ी में उपलब्ध हों तो हर स्थिति में उनका उपयोग किया जाना चाहिए।

स.नि.6.10(2) स्लीपरों में आग का लगना – जब ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट स्लीपर या लाइन के किसी भी अन्य लकड़ी के कार्य में आग लगी देखें तो तुरन्त गाड़ी रोकें ओर आग बुझाएं। ऐसा करते हुए उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह काम प्रभावी ढ़ग से हो ताकि उनके उस स्थान से जाने पर कुछ भी सुलगता हुआ न रह जाय। सेक्शन इंजीनियर (रैल पथ) के निकटतम गैंग और प्रथम ठहराव स्टेशन को अवश्य सूचना दी जानी चाहिए। गाड़ी के कर्मचारी पास से गुजर रहे लोगों या ग्रामीणों से पानी या अन्य सहायता प्राप्त कर सकते हैं और उनकी सहायता के बदले में उनको सन्तोषजनक पारिश्रमिक दे सकते हैं या देने का वचन दे सकते हैं।

वरि. मण्डल संरक्षा अधिकारी
उ.प.रे. जोधपुर

प्रतिलिपि :- म.रे.प्रबन्धक व अ.म.रे. प्रबन्धक को सादर सचनार्थ

Scanned with OKEN Scanner